राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।

(जी–3, राजमहल पैलेस रेजिडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम जयपुर–302013)
(टैलीफैक्स–0141–2222403, ई–मेल–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org)

क्रमांकः–एफ.29/फायर/विविध/डीएलबी/18/1172-1365 दिनांक 14/3/19

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं
समस्त राजस्थान

विषयः– फायर शुल्क एवं फायर सैस वसूली के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य की नगरीय निकायों में फायर शुल्क एवं फायर सैस की वसूली के संबंध में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक प.110(7)नविवि/3/2009 पार्ट–II दिनांक 04.10.2013 में आंशिक संशोधन कर अधिसूचना कमांक प.18(13)नविवि/जयपुर/2016/दिनांक 07.03.2018 जारी की है उक्त अधिसूचना के बिन्दु संख्या 09 में 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के बहुमंजिला भवनों के प्रस्तावित कुल गणना योग्य निर्मित क्षैत्र पर रू. 50/– वर्ग मीटर की दर से अग्निशमन शुल्क देय होगा। उक्त राशि आवेदक द्वारा स्थानीय निकाय में जमा कराई जावेगी एवं निर्माण अनुज्ञा देने वाली प्राधिकरण/न्यास में जमा राशि की रसीद प्रस्तुत की जावेगी। उपरोक्त वर्णित राशि के अलावा इस मद में अन्य कोई राशि नहीं ली जावेगी। भवन निर्माण पूर्ण होने पर कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी करते समय स्थायी अग्निशमन अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा एवं इसके लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। तत्पश्चात प्रति वर्ष अग्निशमन सुविधाओं की जांच व मॉक ड्रिल Empanelled फायर एक्सपर्ट से विकासकर्ता के स्तर पर कराई जावेगी, जिसका व्यय विकासकर्ता/रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (R.W.A.) के द्वारा वहन किया जावेगा। उपरोक्त वार्षिक मोक ड्रिल की दिनांक व समय की सूचना विकासकर्ता/ रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (R.W.A.) द्वारा संबंधित नगरीय निकाय/स्थानीय निकाय को दी जावेगी, ताकि अग्निशमन शाखा के अधिकारी/प्रतिनिधि मॉक ड्रिल के समय मौके पर उपलब्ध रहे।

उक्त राशि के व्यय के संबंध में कार्ययोजना तैयार करने हेतु नगरीय निकाय स्तर पर समिति का गठन किया जावेगा। राज्य सरकार द्वारा इस राशि का उपयोग करने हेतु पृथक से निर्देश संबंधित निकाय को दिये जा सकेगें। अतः फायर शुल्क एवं फायर सैस वसूली के संबंध में उक्तानुसार कार्यवाही करें।

संलग्नः– आदेश/अधिसूचना की प्रति

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

1374 fire letter

(43)

# राजस्थान सरकार
## नगरीय विकास, अवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.10(7)नविवि/3/2009पार्ट–II जयपुर, दिनांक :– 4 OCT 2013

### आदेश

नगरीय विकास विभाग के लिए गठित एम्पावर्ड समिति की 11वीं बैठक दिनांक 01.10.2013 के आईटम नं. 8 पर बहुमंजिले भवनों में 60 मीटर से अधिक ऊंचाई अनुज्ञेय किये जाने के संबंध में नीति तैयार करने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय की अनुपालना में अधिकतम ऊंचाई के भवनों के भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने के लिए अग्निशमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से निम्नानुसार शुल्क लिये जाने का भवन विनियमों के अन्तर्गत प्रावधान किया जाता है :–

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अग्निशमन की सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढीकरण की दृष्टि से निम्नानुसार शुल्क देय होगा :–

| क्र. सं. | प्रस्तावित भवन की ऊंचाई | देय शुल्क (एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर प्रति वर्गमीटर) |
|---|---|---|
| 1. | 15 मीटर से अधिक परन्तु 40 मीटर तक | 100 रूपये प्रति वर्गमीटर |
| 2. | 40 मीटर से अधिक परन्तु 60 मीटर तक | (क) 40 मीटर तक एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर 100 प्रति वर्गमीटर की दर से<br>(ख) 40 मीटर से अधिक 60 मीटर तक ऊंचाई पर प्राप्त एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर 150 रूपये प्रति वर्गमीटर |
| 3 | 60 मीटर से अधिक | (क) 40 मीटर तक एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर 100 प्रति वर्गमीटर की दर से<br>(ख) 40 मीटर से अधिक 60 मीटर तक ऊंचाई पर प्राप्त एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर 150 रूपये प्रति वर्गमीटर<br>(ग) 60 मीटर से अधिक ऊंचाई पर प्राप्त एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर 200 रूपये प्रति वर्गमीटर |

टिप्पणी :–

(i) उक्त राशि भवन विनियमों के अन्तर्गत देय बैटरमेन्ट लेवी/अन्य शुल्कों के अतिरिक्त देय होगी।

(ii) सभी नगरीय निकायों के स्तर पर उक्त राशि के लिए एक डेडिकेटेड फण्ड तैयार किया जायेगा, जो कि सामान्य से अतिरिक्त अकाउन्ट में जमा रखा जावेगा व इस राशि का व्यय संबंधित नगरीय निकाय के क्षेत्र में आवश्यकतानुसार अग्निशमन उपकरण/फायर टेन्डर आदि क्रय किये जाने तथा फायर एक्सपर्टस के माध्यम से बहुमंजिले भवनों में लगाये गये अग्निशमन उपकरणों आदि के वार्षिक निरीक्षण/परीक्षण किये जाने के लिए किया जावेगा। इस संबंध में राज्य/स्थानीय स्तर पर फायर एक्सपर्ट का पैनल तैयार कर बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन सुविधाओं संबंधी प्रावधानों की भवन मानचित्र अनुमोदन, भवनों की पूर्णता पश्चात् अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने एवं समय-समय पर अग्निशमन सुविधाओं की जांच व Mock Drill में स्थानीय निकायों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।

(iii) बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन संबंधी नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।

(iv) राशि के व्यय के संबंध में कार्य योजना तैयार करने हेतु संबंधित नगरीय निकाय स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

क. प्राधिकरणों के लिए –

| | |
|---|---|
| सचिव, संबंधित प्राधिकरण | – अध्यक्ष |
| उप/वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी | – सदस्य |
| स्थानीय निकाय में अग्निशमन सेवा का वरिष्ठ अधिकारी | – सदस्य |
| अध्यक्ष द्वारा नामांकित अधिशाषी अभियंता | – सदस्य सचिव |

ख. न्यासों के लिए –

| | |
|---|---|
| सचिव, संबंधित न्यास | – अध्यक्ष |
| उप/वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी | – सदस्य |
| स्थानीय निकाय में अग्निशमन सेवा का वरिष्ठ अधिकारी | – सदस्य |
| अध्यक्ष द्वारा नामांकित अधिशाषी अभियंता | – सदस्य सचिव |

ग. अन्य नगर निगमों/परिषदो/पालिकाओं के लिए –

| | |
|---|---|
| मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी संबंधित निकाय | – अध्यक्ष |
| उप/वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी/ अन्य प्राधिकृत अधिकारी | – सदस्य |
| स्थानीय निकाय में अग्निशमन सेवा का वरिष्ठ अधिकारी | – सदस्य |
| अध्यक्ष द्वारा नामांकित अधिशाषी अभियंता | – सदस्य सचिव |

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. समदीय सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।

(45)

4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को आवश्यक निर्देश उनके स्तर पर प्रदान किये जाने हेतु।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/आबू जिला सिरोही/भरतपुर/भिवाडी/भीलवाडा/बीकानेर/बांसवाड़ा/बाड़मेर/चित्तोड़गढ़/जैसलमेर/कोटा/पाली/सीकर/श्रीगंगानगर/सवाईमाधोपुर/उदयपुर।
8. गार्ड फाईल।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

# राजस्थान सरकार
## नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.18(13)नविवि/जयपुर/2016      जयपुर, दिनांक 17 MAR 2018

### अधिसूचना

एकीकृत भवन विनियम–2017 राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन से लागू किये गये है। राजस्थान एकीकृत भवन विनियम–2017 के विनियम 7.1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात राजस्थान एकीकृत भवन विनियम–2017 के निम्न प्रावधानों को संशोधित/पुर्नस्थापित/अतिरिक्त जोड़ा जाता है:–

| क्र.सं. | विनियम संख्या | संशोधित प्रावधान |
|---|---|---|
| 1 | 8.2 | तालिका 1 के नोट के बिन्दु संख्या 3 में निम्नानुसार जोड़ा जाता है :–<br>जिन क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक आरक्षित दर निर्धारित नही है ऐसे क्षेत्रों में वहां की विभिन्न उपयोगों हेतु प्रचलित डीएलसी दर को आरक्षित दर मानते हुए अतिरिक्त बीएआर की राशि की गणना की जावेगी।<br>मानक बी.ए.आर. से अधिक बी.ए.आर. प्रस्तावित किये जाने पर बैटरमेंट लेवी की दरें आवासीय, संस्थागत, होटल, मोटल एवं रिसोर्ट प्रयोजनार्थ आवासीय आरक्षित दर पर<br>एवं<br>वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (होटल, मोटल एवं रिसोर्ट को छोड़कर)– व्यावसायिक आरक्षित दर पर (व्यावसायिक आरक्षित दर निर्धारित नही होने पर आवासीय आरक्षित दर का दो गुना)<br>1. 2.0 बी.ए.आर. तक — बैटरमेंट लेवी देय नही<br>2. 2.0 से अधिक परन्तु 3.5 बी.ए.आर. तक — आरक्षित दर का 20 प्रतिशत<br>3. 3.5 से अधिक परन्तु 5.0 बी.ए.आर. तक — आरक्षित दर का 25 प्रतिशत<br>4. 5.0 से अधिक परन्तु 6.5 बी.ए.आर तक — आरक्षित दर का 30 प्रतिशत<br>5. 6.5 बी.ए.आर. से अधिक — आरक्षित दर का 35 प्रतिशत<br>उक्त दरो की गणना चरणबद्ध (Stage Wise) प्रक्रिया से की जावेगी। |
| 2 | 8.2.1 (द) (vi) | 1000 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डो में सार्वजनिक सुविधाएं यथा सामुदायिक कक्ष, पुस्तकालय, क्लब, जिम, सोसायटी कार्यालय, कॉमन स्टोर, कॉमन टॉयलेट आदि हेतु स्टिल्ट फ्लोर पर स्टिल्ट फ्लोर के क्षेत्रफल का न्यूनतम 5 प्रतिशत रखा जाना आवश्यक होगा तथा स्टिल्ट फ्लोर पर अनुज्ञेय व्यवसायिक उपयोग सहित सार्वजनिक सुविधाओं हेतु अधिकतम 30 प्रतिशत तक क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। यदि स्टिल्ट फ्लोर प्रस्तावित नही है तो उक्त सार्वजनिक सुविधाएं किसी भी अन्य तल पर अनुज्ञेय की जा सकेंगी। सार्वजनिक उपयोग हेतु अनुज्ञेय किये गये क्षेत्र का केवल भवन निवासियों की सुविधाओं के लिए ही आरक्षित रखा जावेगा, इसका विक्रय नहीं किया जा सकेगा तथा विकासकर्ता द्वारा उक्त सुविधा क्षेत्र विकसित कर इसको रख रखाव हेतु रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (R.W.A.) को हस्तान्तरित करना होगा। |
| 3 | 8.2.1(द) (vii) | विनियम 8.2.1(द) (vii) में लिखित "भवन विनियम 2015 के" हटाया जाता है। |
| 4 | 8.2.1 (र) [illegible] | फार्म हाउस<br>(i) [illegible] अनुज्ञेय होगा।<br>(ii) फार्म हाउस हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर आवश्यक है।<br>(iii) [illegible] की स्थिति में [illegible] आदेश क्रमांक प. 3(43)नीति/3/2009 पार्ट दिनांक 12.08.2015 के अनुरूप रखा जाना अनिवार्य होगा। |
| 5 | 8.2.2 [illegible] | विनियम संख्या 8.2.2 [illegible] में बिन्दु संख्या (iv) निम्नानुसार जोड़ा जाता है–(iv) [illegible] आवासीय में उपयोग पर अनुज्ञेय होगा। |
| 6 | 8.2.2(ii) (i) | विनियम 8.2.2(ii) (i) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–<br>(i) [illegible] न्यूनतम 3000 वर्गमीटर होगा। |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 8.2.2 (ज) | नोट (iii) के पश्चात नोट (iv) जोड़ा जाता है।<br>(iv) पैट्रोल पम्प भूखण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला सडक/अन्य जिला सडक (NH/SH/MDR/ODR) पर स्थित होने की स्थिति में संबंधित ऐजन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य है। |
| 8 | 8.2.3 (iv) | संस्थागत बहुमंजिले भवन 1000 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक बडे भूखण्डों पर तथा सडक की चौड़ाई बडे शहरों हेतु 18 मीटर व लघु व मध्यम शहरों हेतु 15 मीटर होने पर ही देय होंगे। |
| | 8.3 (i) | बहुमंजिला भवन न्यूनतम 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड एवं आवासीय एवं संस्थागत उपयोग हेतु बड़े शहरो में न्यूनतम 18 मीटर, मध्यम/लघु शहरों में 15 मीटर तथा वाणिज्यिक उपयोग हेतु बड़े शहरों में न्यूनतम 21 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में 18 मीटर चौडी सडक होने ही अनुज्ञय होंगे। |
| 9 | 8.3.1(i) | 15 मीटर से अधिक ऊचाई के बहुमंजिला भवनों के प्रस्तावित कुल गणना योग्य निर्मित क्षेत्र पर रु 50/– वर्गमीटर की दर से अग्निशमन शुल्क देय होगा। उक्त राशि आवेदक द्वारा स्थानीय निकाय में जमा कराई जावेगी एवं निर्माण अनुज्ञा देने वाली प्राधिकरण/न्यास में जमा राशि की रसीद प्रस्तुत की जावेगी। |
| | 8.3.1(ii) | 8.3.1(i) में वर्णित राशि के अलावा इस मद में अन्य कोई राशि नहीं ली जावेगी। भवन निर्माण पूर्ण होने पर कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी करते समय स्थायी अग्निशमन अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा एवं इसके लिए कोई शुल्क देय नही होगा। तत्पश्चात प्रति वर्ष अग्निशमन सुविधाओं की जॉच व मॉक ड्रिल Empanelled फायर एक्सपर्ट से विकासकर्ता के स्तर पर कराई जावेगी जिसका व्यय विकासकर्ता/ रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (R.W.A.) के द्वारा वहन किया जावेगा। उपरोक्त वार्षिक मॉक ड्रिल की दिनांक व समय की सूचना विकासकर्ता/ रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (R.W.A.) द्वारा संबंधित नगरीय निकाय/स्थानीय निकाय को दी जावेगी, ताकि अग्निशमन शाखा के अधिकारी/प्रतिनिधि मॉक ड्रिल के समय मौके पर उपलब्ध रहे। |
| | 8.3.1(iii) | इस राशि के व्यय के संबध में कार्ययोजना तैयार करने हेतु नगरीय निकाय स्तर पर समिति का गठन किया जावेगा। |
| | 8.3.1(iv) | राज्य सरकार द्वारा इस राशि का उपयोग करने हेतु पृथक से निर्देश संबंधित निकाय को दिये जा सकेंगे। |
| 10 | 8.7 (iii) | विनियम 8.7 (iii) में उल्लेखित **"न्यूनतम अग्र सैटबेक तालिका 1 के अनुसार ही रखा जावेगा"** हटाया जाता है। |
| 11 | 8.7 (xiii) | विनियम 8.7 (xiii) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है –अग्र, साईड व बैक सैटबेक में मैकेनिकल पार्किंग अनुज्ञेय नहीं होगी। मैकेनिकल पार्किंग नियमानुसार सैटबेक छोड़ने के पश्चात भू–तल के शेष भाग में दी जा सकेगी। |
| 12 | 8.11.1 | "जिन नगरीय क्षेत्रों में जल अभाव क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण संरचनाएं बनाना अनिवार्य नहीं होगा।" संबंधित प्राधिकरण/न्यास की बैठक में इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव पारित किये जाने के पश्चात उपरोक्त अनिवार्यता नहीं रहेगी एवं ऐसे प्रकरणों में तालिका 11 में रेन वाटर हारवेस्टिंग हेतु तालिका की कॉलम 4 में दर्शायी गई अमानत राशि जमा नहीं कराई जावेगी। |
| 13 | 8.11.3 | प्रत्येक 100 वर्गमी. क्षेत्रफल (फार्म हाउस की स्थिति में 50 वर्गमी. क्षेत्रफल के लिए) के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो छः मी. या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे। इस प्रावधान की अनुपालना नहीं करने पर 1000/– प्रति वृक्ष की दर से राशि स्थानीय निकाय में जमा करानी होगी, जिस राशि का उपयोग उस भूखण्ड पर वृक्ष लगाने में किया जाएगा। |
| 14 | [illegible] | ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किये जाने पर मानक गणना योग्य निर्मित क्षेत्रफल के अतिरिक्त 7.5 प्रतिशत (0.075) गणना योग्य निर्मित क्षेत्र निःशुल्क (बिना बेटरमेंट लेवी) [illegible] शर्तों की पूर्ति किये जाने पर देय होगा। |
| 15 | 8.12.3.2 (4) (ग) | विनियम 8.12.3.2 (4) (ग) में "ऊर्जा संरक्षण भवन निर्माण संहिता (ईसीबीसी) 2007" के स्थान पर "वर्तमान में प्रचलित ऊर्जा संरक्षण भवन निर्माण संहिता (ईसीबीसी)" प्रतिस्थापित किया जाता है। |
| 16 | 16 (vi) | विनियम 16 (vi) में उल्लेखित "बहुमंजिला भवनों में केवल पार्किंग हेतु बेसमेन्ट" के स्थान पर "केवल पार्किंग हेतु बेसमेन्ट" संशोधित किया जाता है। |

| | | |
|---|---|---|
| 17 | 14.11 | अनुसूची 2 का बिन्दु संख्या 11, "यदि निर्धारित अवधि के पश्चात नवीनीकरण कराया जाता है तो क्रम संख्या 1 के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क तथा क्रम संख्या 2–3 के अनुसार मानचित्र जॉच एवं अनुमोदन शुल्क का 20 प्रतिशत"। |
| 18 | 14.15 (iii) | विनियम संख्या 14.15 (iii) में उल्लेखित "बिन्दु संख्या 14.14 (i) व (ii)" के स्थान पर "बिन्दु संख्या 14.15 (i) व (ii)" संशोधित किया जाता है। |

06/3/18
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मन्त्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
7. सलाहकार (नगर नियोजन), नगरीय विकास विभाग।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर प्रकाशित अंक की एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

06/3/18
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम